न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 60/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. चेतनप्रकाश पुत्र भंवरलाल कच्छावा, निवासी शारदा बाल स्कूल के पीछे, नागौर (मालिक मैसर्स चेतनप्रकाश नमकीन, नागौर) 2. गोपाल पुत्र बाबुलाल (कर्मचारी) निवासी कुम्हारी दरवाजा, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री मोहम्मद शाहिद।

निर्णय दिनांक– 12/09/2019

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अर्न्तगत घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत की गई कार्यवाही के दौरान सीज किये गये 1 धरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को सम्पहरित (Confiscate) कर राज सात करने के आदेश बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी।
3. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर में की गई कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.05.2014 को श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री भींवराज वरिष्ठ लिपिक जिला रसद कार्यालय, नागौर एवं श्री ओमप्रकाश सहायक कर्मचारी जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा मानासर चौराहा स्थित मैसर्स चेतनप्रकाश नमकीन भण्डार की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।
4. वक्त जांच मैसर्स चेतनप्रकाश नमकीन भण्डार मानासर चौराहा नागौर में श्री गोपाल उपस्थित मिले जिन्होनें उक्त प्रतिष्ठान श्री चेतनप्रकाश कच्छावा का होना बताया तथा स्वयं कर्मचारी का कार्य करना बताया। उपस्थित श्री गोपाल ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण करवाया। वक्त जांच मौके पर धरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. का एस.आर. नं. 89324 रेग्यूलेटर पाईप के माध्यम से गैस भट्टी से जोड़ा हुआ पाया गया जिस पर चाय बनाने का कार्य किया जा रहा था। होटल मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से चाय व नमकीन बनाकर ग्राहको को विक्रय किये जाने का कार्य किया जाता है। होटल मालिक से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग के बारे में कागजात एवं लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया।
5. वक्त जांच मैसर्स चेतनप्रकाश नमकीन भण्डार मानासर चौराहा नागौर में अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	गैस भराव क्षमता	सीरियल नम्बर	गैस वजन
1	BPC	14.2 Kg	89324	3Kg

6. इस प्रकार मैसर्स चेतनप्रकाश नमकीन भण्डार चौराहा नागौर में अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर,–2000 के खण्ड 3 (1) (b) (c), खण्ड 4 (1) (b) (c), 2 खण्ड 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवेहलना की है जो कि आवश्यक वस्तु

अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर उक्त उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के मैनेजर श्री आनन्दकुमार अग्रवाल की सुपुर्दगी में देने का कथन करते हुए पैरा 3 में दर्ज सीज सुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

7. वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 26.05.2014 को आकस्मिक जांच के दौरान श्री कंवराराम चौधरी प्रवर्तन अधिकारी नागौर, भींवराज, ओमप्रकाश ने अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिस्ठान का आकस्मिक निरीक्षण किया या नहीं किया, इसकी अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश को कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 26.05.2014 को अप्रार्थी अपने प्रतिस्ठान पर ही था। कथित गोपाल पुत्र बाबुलाल का अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश व उसके प्रतिष्ठान से कोई सरोकार नहीं है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान में कथित घरेलू गैस सिलेण्डर मिलने का प्रश्न है उसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश का निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान में कभी भी घरेलू गैस कनेक्शन के सिलेण्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है न ही कथित तारीख को ऐसा सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान में उपयोग में लिया जाता पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश का प्रतिष्ठान मानासर मुख्य चौराहा पर स्थित है तथा वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के रिश्तेदार, मौहल्ले वाले व मिलने वाले जब भी गैस सिलेण्डर लेने के लिए उधर से जाते है तो नमकीन वगैरा लेने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान पर रूकते है व कई बार मानासर एरिये में अन्य कई कार्यालयों में आवश्यक कार्य होने से अपने गैस सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान में जान पहचान के कारण कुछ समय के लिए संभाल कर रखने हेतु छोड़ कर चले जाते है व कुछ समय पश्चात अपने सिलेण्डर वापिस ले जाते है इसी प्रकार कई व्यक्ति मुख्य चौराहा होने व वहां बसो का ठहराव होने के कारण कम जान पहचान वाले भी कुछ समय के लिए सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर रख कर चले जाते है उसी क्रम में यदि कोई सिलेण्डर प्रार्थी ने जब्त किया है तो उससे अप्रार्थी संख्या–1 चेतनप्रकाश का कोई सरोकार नहीं है। मात्र अपना टारगेट पूरा के लिए कथित सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान पर काम में लिये जाने का गलत व बिना आधार के मनमर्जी से आक्षेप लगाया गया है। जबकि ऐसी कोई आकस्मिक जांच, निरीक्षण व जांच की कार्यवाही मौके पर विधिवत नहीं हुई थी और परिवादी ने जिस तरह के आक्षेप कथित सिलेण्डर भट्टी से जोड़े होने बाबत लगाये है उसके संबंध में अप्रार्थी की मौजूदगी की या अनुपस्थिति की कोई फोटोग्राफी भी वहां की नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा सरासर झुठे आक्षेप लगाकर प्रकरण दर्ज करवाया है।

8. परिवाद में अप्रार्थी के विरूद्व कथित गैस सिलेण्डर काम में लेने व चाय, नमकीन बनाने के आक्षेप लगाये है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान में चाय नहीं बनाई जाती है नमकीन की दुकान है। मात्र छपे छपाये प्रिन्टेड फार्म मौका रिपोर्ट एवं जब्ती रिपोर्ट कुछ शब्दो का काटते हुए व कुछ शब्दो पर टिकमार्क करते हुए बिना पूरी वल्दियत लिखे कथित गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर पत्रावली में शामिल करते हुए मात्र जांच की औपचारिकता पूरी की है जो परिवादी व उसके सहयोगी कर्मचारी/ अधिकारीयो ने कार्यालय में बैठे ही उक्त झूठे आक्षेप के दस्तावेज तैयार किये है। अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के विरूद्व ऐसा कोई मामला नहीं बनता है न ही पत्रावली पर ठोस साक्ष्य सबूत ही है जिससे अप्रार्थी के विरुद्व कोई मामला प्रमाणित होता हो। कथित सुपुर्दगीनामा वगैरा भी गलत ढंग से तैयार किये है इनकी अप्रार्थी को जानकारी नहीं है अप्रार्थी के हस्ताक्षर भी नहीं है जवाब में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के विरूद्व कोई मामला नही बनता है इसलिए परिवाद/ कार्यवाही हाजा ड्रोप की जाना न्यायोचित हाने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के विरुद्व कार्यवाही हाजा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

9. वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल की ओर से बहस में कथन किया कि कथित प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल को कोई सरोकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल के विरुद्व सरासर झुठी कार्यवाही की गई है। दिनांक 26.05.2014 को आकस्मिक जांच के दौरान श्री कंवराराम चौधरी प्रवर्तन अधिकारी नागौर, भींवराज, ओमप्रकाश ने अप्रार्थी संख्या 1 के

प्रतिस्ठान का आकस्मिक निरीक्षण किया या नहीं किया, इसकी अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि उक्त प्रतिष्ठान से अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल का कोई सरोकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश का प्रतिष्ठान है। अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान पर आता जाता है व कई लोग वहां रुक कर नमकीन वगैरा ले जाते है तथा बसो का ठहराव होने से आस पास के गांवो में व जोधपुर वगैरा जाने वाली सवारियां वहां रूकती है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल की उपस्थिति में न तो कभी अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया न अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण करवाया न अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल अप्रार्थी संख्या 1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान पर कार्य करता है अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल ने ऐसी किसी भी जांच के समय कोई हस्ताक्षर नहीं किये थे। अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल का न तो उक्त एरिये में कोई प्रतिष्ठान है न वहां कार्य करता है अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल बाहर मजदूरी हेतू रहता है उसके विरुद्व अनावश्यक कार्यवाही कर उसे नाजायज तंग परेशान किया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल के विरुद्व कोई मामला नहीं बनता है इसलिए परिवाद/कार्यवाही हाजा ड्रोप की जाना न्यायोचित हाने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल के विरुद्व कार्यवाही हाजा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में नागौर शहर में घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.05.2019 को अप्रार्थी संख्या–1 चेतनप्रकाश के प्रतिष्ठान का मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 गोपाल द्वारा निरीक्षण करवाने पर उक्त प्रतिष्ठान मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी का क.सं. 89324 रेग्यूलेटर पाईप के माध्यम से गैस भट्टी से जोड़ा हुआ पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग बाबत कागजात व लाईसेन्स के बारे में पूछे जाने पर नहीं होना बताया। जिस पर उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को प्रार्थी द्वारा जब्त किया जाकर मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त तथ्यों की ताईद प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 26.05.14 को रूबरू मौतबिरान तैयार की गई फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से ताईद होती है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जा सके।

11. इस प्रकार प्रकरण मे तथ्यो का समग्रता से अध्ययन एंव मनन के उपरान्त प्रार्थी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही दिनांक 26.05.2014 सही प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्त शुदा **बी.पी.सी. कम्पनी** का एक घरेलू गैस सिलेण्डर **सीरियल नम्बर 89324** मय गैस को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर की कीमत के बराबर अप्रार्थी संख्या–1 चेतनप्रकाश से जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या–1 चेतनप्रकाश द्वारा राशि जमा नहीं करवाने पर अप्रार्थी संख्या–1 चेतनप्रकाश से जुर्माना राशि नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है एवं उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। उक्तानुसार निर्णय की पालना में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

12. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: